पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

(122)

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–26/2013–07(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 24.04.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम–उपशीर्ष–0008–गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड **एन० 2235602000008** मद् में 6.00 (छः लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ था इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 474/आ०प्र० दिनांक 07.05.13 द्वारा नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को उपावंटित किया गया है। पुनः विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–26/2013–30(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 11.07.13 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए उक्त मद् में 10.50 लाख (दस लाख पचास हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39 यूनिट कोड– 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावे)

(लाख रूपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	नजारत उप समाहर्त्ता, पटना	**6.00**	**0.00**	**6.00**
02.	अंचल अधिकारी, पटना सदर	**0.00**	**6.00**	**6.00**
03.	अंचल अधिकारी, धनरूआ	**0.00**	**4.50**	**4.50**
	कुल उपावंटित राशि :–	**6.00**	**10.50**	**16.50**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम–उपशीर्ष–0008–गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड **एन० 2235602000008** मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद् में किया जाय जिस मद् के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद् में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. विभागीय संकल्प 2901/आ०प्र० दिनांक 03.10.2008 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि "घटना गैर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में ही आती है।" संतुष्ट होने के उपरांत गैर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी की घटनाओं के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों/घायल व्यक्तियों को इस राशि का भुगतान किया जाय।

4. यह उपावंटन अंचल कार्यालय, पटना सदर एवं अंचल कार्यालय, धनरूआ का गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मृत्यु का अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या क्रमशः 06/2012–13 एवं 04/13–14 में जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रदत्त स्वीकृति आदेश के आलोक में किया जा रहा है।

5. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

7. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि०(2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खातें में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-14/2013 777 /आ०प्र०, दिनांक 25/7/13

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, पटना सदर एवं धनरूआ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।